

पटना विश्वविद्यालय, पटना

अधिसूचना

- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता के विकास हेतु वर्ष 2012 में जारी विनियम अंतर्गत अनुच्छेद 3(f) तहत :-

1. समान अवसर कोषांग (Equal Opportunity Cell) का निम्नवत गठन किया जाता है।

- | | | |
|------|---|--------|
| i. | डॉ० जावेद इयात
विभागाध्यक्ष, उर्दू विभाग | संयोजक |
| ii. | डॉ० सुनीता राय | |
| | विभागाध्यक्ष, पी० एम० आई० आर० | सदस्य |
| iii. | डॉ० बदर आरा
प्राचीन भारतीय इतिहास एवं पुरातत्व विभाग | सदस्य |
| iii. | डॉ० दिलीप राम | |
| | हिन्दी विभाग | सदस्य |
| v. | डॉ० जी० पी० चंद | |
| | जन्तु विज्ञान विभाग | सदस्य |
| vi. | डॉ० किरण कुमारी | |
| | दर्शन शास्त्र विभाग पटना कॉलेज | सदस्य |

2. डॉ० विनय सोरेन एसोसिएट प्रोफेसर, स्नातकोत्तर राजनीति विज्ञान विभाग पटना विश्वविद्यालय, पटना को भेदभाव निरोधक पदाधिकारी (Anti discrimination Officer) नियुक्त किया जाता है।

कुलपति के आदेशानुसार

संकायाध्यक्ष, छात्र कल्याण
पटना विश्वविद्यालय

ज्ञापक ३.५.११/३३७

पटना, दिनांक ०९.०३.२०१३

प्रतिलिपि: 1. सभी विभागों के विभागाध्यक्ष, पी० वि० वि० 2. सभी संस्थानों के निदेशक, पी० वि० वि० 3. सभी महाविद्यालयों के प्राचार्य/प्राचार्या, पी० वि० वि० 4. सभी संबंधित सदस्य/पदाधिकारी, भेदभाव निरोधक कोषांग, पी० वि० वि० 5. सदस्य सचिव, बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग, बिहार सरकार, पटना। 6. कुलानुशासक, पी० वि० वि० 7. कुलसचिव, पी० वि० वि० 8. कुलपति के सचिव, पी० वि० वि० 9. प्रति कुलपति के निजी सहायक, पटना विश्वविद्यालय, पटना को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ हेतु प्रेषित।

संकायाध्यक्ष, छात्र कल्याण
पटना विश्वविद्यालय

९.३.२०१३